श्रीमान् अध्यक्ष महोदय राजस्व मंण्डल ग्वालियर (म0प्र0)

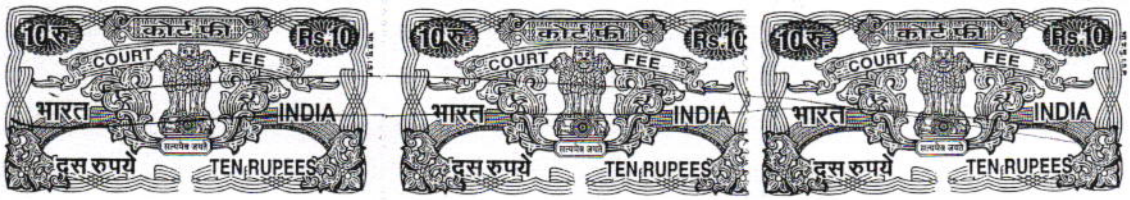

नि0 / 3863-II-15

1. रमेश कुमार श्रीवास्तव तनय श्री महावीर प्रसाद श्रीवास्तव उम्र 58 वर्ष।
2. अमित कुमार श्रीवास्तव तनय श्री रमेश कुमार श्रीवास्तव उम्र 32 वर्ष।
3. आकाश कुमार श्रीवास्तव तनय श्री रमेश कुमार श्रीवास्तव उम्र 25 वर्ष।

सभी का पेशा खेती निवासी ग्राम घुरेहटा वार्ड नंबर 10 मऊगंज थाना व तहसील मऊगंज जिला रीवा (म0प्र0).......... .निगरानी कर्ता गण।

दिनांक 28-11-15 को श्री मुकेश मालिक अभि0 श्री प्रस्तुत। 28-11-15 50

बनाम

1. ऐतबारी खॉ तनय श्री आशिक खॉ उम्र 50 वर्ष पेशा कोटवार एवं खेती निवासी ग्राम घुरेहटा थाना व तहसील मऊगंज जिला रीवा (म0प्र0)
2. शासन मध्यप्रदेश .... निगरानी ग्रहीता गण।

निगरानी विरूद्ध आदेश विद्वान तहसीलदार साहब तहसील मऊगंज जिला रीवा संभाग रीवा राजस्व प्रकरण कमांक 2 अ 12/14–15 पारित आदेश दिनांक 23.11.15 अंन्तर्गत धारा 50 म0प्र0भू0रा0 संहिता सन् 1959

मुकेश मालिक 28-11-15 एडवोकेट ग्वालियर

मान्यवर,

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इसप्रकार है कि भूमि खसरा नंबर 2972/2/1 रकवा 0.418 हे0 एवं 2973/1 रकवा 0.24 हे0 स्थित ग्राम घुरेहटा तहसील मऊगंज के सीमांकन हेतु आवेदनपत्र दिनांक 02.02.2013 को प्रस्तुत किया गया जिसके पालन मे राजस्व निरीक्षक एवं पटवारी हल्का घुरेहटा द्वारा दिनांक 09.03.13 को सीमांकन किये जाने की सूचना देकर सीमांकन किया गया तथा उस सीमांकन के आधार पर आपत्तिकर्ता गण का भूमि खसरा नंबर 2972/2/1 क रकवा 0.02 डि0 प्रभावित किया जाकर आवेदक ऐतबारी खॉ के भूमि स्वामित्व की भूमि खसरा नंबर 2972/2/1 की भूमि मे निकाला गया जिसमे आपत्ति किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय के पूर्व पीठासीन अधिकारी ने अपने आदेश दिनांक 03.06.2015 द्वारा किये

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक R 3863–2/2015 जिला रीवा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश रमेश/ऐंतवारी खॉ	पक्षकारों अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
2 –12–2015	आवेदक के विद्वान अभिभाषक श्री मुकेश भार्गव उपस्थित । उन्हें प्रकरण में ग्राह्यता पर सुना गया । आवेदक के विद्वान अधिवक्ता के तर्क सुने गये। उन्होंने बताया कि पूर्व में तहसीलदार मऊगंज के प्र0क0 44/अ–70/07–08 में आदेश दिनांक 19.3.10 पारित करते समय जिस फील्डबुक का आधार लिया गया था (उन्होंने इस फील्डबुक की प्रति का अवलोकन कराया) उसमें सर्वे कमांक 2949 एवं 3071 में विद्यमान बन्दोबस्ती कूपों का बतौर स्थायी सीमाचिन्ह आधार लेते हुए सीमांकन किया गया था। इसके बाद पटवारी हल्का घुरेहटा के द्वारा व्यवहार न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश के समक्ष दिए गये शपथपत्र दिनांक 2.2.2011 (प्रति दिखायी गयी, प्रदर्श पी 4) में भी यह लिखा गया था कि इस सीमांकन में सर्वे कमांक 2949 एवं 3071 में विद्यमान बन्दोबस्ती कूपों का बतौर स्थायी सीमाचिन्ह आधार लिया गया है। इसके बाद दिनांक 3.6.15 को तहसीलदार द्वारा प्रकरण कमांक 2/अ–12/14–15 में पारित आदेश में यह लिखा है कि सर्वे कमांक 2949 एवं 3071 में विद्यमान बन्दोबस्ती कूपों को बतौर स्थायी सीमाचिन्ह माने बगैर जो कार्यवाही की गयी है वह दोषपूर्ण एवं संदेहजनक है। इसके बावजूद आक्षेपित आदेश दिनांक 23.11.15 में सीमांकन की पुष्टि बगैर इन सर्वे कमांक 2949 एवं 3071 में विद्यमान बन्दोबस्ती कूपों को बतौर स्थायी सीमाचिन्ह माने, यह लिखते हुए कि 'प्रश्नगत कुओं का सीमाचिन्ह नक्शे में नहीं बने होने से उसकी सीमा मान कर सीमांकन करने का कोई विधिक महत्व होना प्रतीत नहीं होता है', सीमांकन का अनुमोदन किया गया है। इसके परिणामस्वरूप आवेदक निगराकारगण की भूमि प्रभावित हुई होने का बिन्दु उत्पन्न होकर यह निगरानी आवेदन राजस्व मण्डल के समक्ष प्रस्तुत हुआ है। मेरे द्वारा प्रकरण में प्रस्तुत तर्कों एवं उपलब्ध अभिलेखों के अध्ययन एवं उन पर विचार उपरांत यह पाया जाता है कि सर्वे	

R. 3863/10/15 शेयर

कमांक 2949 एवं 3071 में विद्यमान बन्दोबस्ती कूपों के बतौर स्थायी सीमाचिन्ह उपलब्ध होने के बावजूद, एवं 2010 के सीमांकन, व्यवहार न्यायालय के समक्ष के शपथपत्र एवं तहसीलदार का आदेश दिनांक 3.6.15 में उनका हवाला होने के बावजूद, आक्षेपित आदेश दिनांक 23.11.15 में उनका आधार लेते हुए सीमांकन की कार्यवाही नहीं हुई होने के बावजूद सीमांकन की पुष्टि की गयी है जो कि उचित नहीं है।

अतः मैं तहसीलदार, मऊगंज का आक्षेपित आदेश दिनांक 23.11.15 एतद्द्वारा निरस्त करता हूँ तथा उन्हें यह आदेश देता हूँ कि इस आदेश की उनको संसूचना के 2 माह के भीतर, सर्वे कमांक 2949 एवं 3071 में विद्यमान बन्दोबस्ती कूपों आदि का बतौर स्थायी सीमाचिन्ह आधार लेते हुए, एवं सभी हितवद्ध पक्षकारों एवं सरहदी कृषकों को विधिवत सूचना एवं पक्षसमर्थन का समुचित अवसर देते हुए, नये सिरे से संबंधित प्रकरण कमांक 2/अ-12/14-15 में बोलता हुआ आदेश पारित करें ताकि किसी भी संबंधित व्यक्ति के वैधानिक हित अनुचित रूप से प्रभावित नहीं हों। उपरोक्त निर्देशों के साथ यह निगरानी प्रकरण समाप्त किया जाता है। पक्षकार सूचित हों। आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को पालनार्थ भेजी जावे। प्रकरण दा.रि.हो।

2.12.15

सदस्य